न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

पकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 44 / 2025	2025 / 136	03.03.2025	09.07.2025

1 हंसू उर्फ हंसराज पुत्र सोनी जाति धानक निवासी ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– नायब तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2– दीपक नागर पुत्र राकेश कुमार,
3– विजय कुमार पुत्र रामकंवार जाति धानक निवासीयान ग्राम नरवास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पॉडेन्ट

4– कृष्णा पत्नी देशराज,
5– मुनेश पुत्री देशराज,
6– धन्नो पत्नी नरेश उर्फ कालिया,
7– मनोज कुमार पुत्र नरेश उर्फ कालिया,
8– सोनू पुत्री नरेश उर्फ कालिया जाति धानक निवासीयान ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
9– माया पुत्री सोनी जाति धानक निवासी ग्राम राजावास तहसील व जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
10– बिजेन्द्र,
11– गुलशन पुत्रान स्व. बिमला पत्नी दयाचन्द,
12– शशि पुत्री स्व. बिमला पत्नी दयाचन्द जाति धानक निवासीयान गुरूग्राम (हरियाणा)

तरतीबी रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार कोटकासिम निर्णय दिनाक 30.09.1975 नामान्तकरण संख्या 21 वाके ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित

01. श्री ललित मेधवाल	वकील अपीलान्ट
02. श्री राकेश	वकील रेस्पोडेन्ट
03. श्री ललित मेधवाल	तरती0 रेस्पोडेन्टान सं0 4 लगा0 6 व 9 लगा0 12 तक

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब कोटकासिम के नामान्तकरण संख्या 21 निर्णय दिनाक 30.09.1975 वाके ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, आराजी खसरा नं0 361/6 रकबा 5 बीघा भूमि (हाल खसरा नं0 1137/1049 व 1138/1049) मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान की माता/दादी/सास श्रीमती फूला स्त्री सोनी को विधवा, असहाय व अनुसचित जाति की होने के कारण जरिये भूमि आंवटन पत्र (पटटा) के आंवटन अधिकारी द्वारा दिनाक

ला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

(हरियाणा)

07.09.1975 को आवंटित की गयी थी। अपीलान्ट की माता श्रीमती फूला का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान जीवित विधिक वारिसान है। मिन अपीलान्टान की माता फूला जो की अनपढ व ग्रामीण परिवेश की महिला थी। किन्तु किशोरीलाल पुत्र सोहनलाल जो की चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति था, जिसने मिन अपीलान्टान की माता फूला को राज्य सरकार द्वारा अलोट हुई ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम की आराजी खसरा न0 361/6 रकबा 5 बीघा भूमि में से 1/2 भाग अर्थात 2 बीघा 10 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 1137/1049) का राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयो से साजबाज होकर अपने नाम नामान्तकरण संख्या 21 दिनाक —— 30.09.1975 को विधि विरूद्व तरीके से अपने नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जबकि किशोरी लाल का उक्त आराजी से कोई सम्बध व सरोकार किसी प्रकार का नही था और न ही राज्य सरकार द्वारा किशोरीलाल को उक्त आराजी अलोट की गयी। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इन तथ्यो पर कतई गौर नही किया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियो व किशोरीलाल के साथ साजबाज होकर दस्तावेजो में कांट–छाट करके मिन अपीलान्ट की माता को अलोट हुई भूमि में से 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण संख्या 21 दिनाक 30.09.1975 को किशोरीलाल के नाम स्वीकार कर दिया जिसकी इन्होने भनक तक नही लगने दी और किशोरीलाल ने उक्त आराजी को दीगर लोगो को बेचान कर दिया। जिसका की किशोरीलाल को कोई कानूनी अधिकारी हासिल नही था, अब उक्त आराजी हाल खसरा न0 1137/1049 पर गलत नामान्तकरण के आधार पर असल रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 के नाम है। इस पर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने के लिए कहा तो उन्होने कहा की उक्त आराजी को खरीद किया गया है। आपको जो कानूनी कार्यवाही करनी है, वो कर लो आराजी को खाली करने से मना कर दिया। नामान्तकरण संख्या 21 में वर्णित आराजी खसरा न0 361/6 रकबा 5 बीघा में से 1/2 भाग अर्थात 2 बीघा 10 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 1137/1049) जो कि मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान की माता/सास/दादी फूला की अलोटशुदा आराजी थी, जिसमें मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान विधिक वारिसान है। इस प्रकार वाके ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम में स्थित आराजी खसरा न0 361/6 रकबा 5 बीघा (हाल खसरा न0 1137/1049 व 1138/1049) मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान की आराजी है, जिससे अन्य किसी का कोई सम्बध व सरोकार नही है। विवादित नामान्तकरण संख्या 21 विधि विरूद्व दर्ज व मंजूर कराया है, जो कानून व खिलाफ मौका है। तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 21 व उसके आधार पर किये गये बेचान की पूर्व में कोई जानकारी नही थी, जब मिन अपीलान्टान को पटटे की प्रमाणित प्रति की जरूरत पडी तो उक्त आराजी की पुरानी जमाबंदीयात की नकल दिनाक 22.11.2023 व विवादित नामान्तकरण की नकल दिनाक — 29.11.2023 को प्राप्त की तो उक्त गलत नामान्तकरण का ज्ञान हुआ। जिस पर कानूनी मशवरा प्राप्त कर खर्चे की व्यवस्था कर बिना देरी किये गये यह अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पुथक से सलग्न कर अनुरोध है, अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.09.1975 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते करते हुए निवेदन किया है, प्रकरण में वर्णित आराजी दिनाक 07.09.1975 को भू0 आंवटन कार्यकारणी समिति की सर्व सहमति से फूला देवी पत्नी सोनी किशोरीलाल पुत्र सोहनलाल निवासी मकडावा के आराजी खसरा न0 361 रकबा 5 बीघा आंवटित की थी, आवटंन शुदा आराजी का दिनाक 20.09.1975 को फूला स्त्री सोनी व किशोरीलाल पुत्र सोहनलाल जाति धानक निवासी मकडावा को जरिये पटवारी हल्का कान्हडका द्वारा दखल दिया गया था। अपीलान्टान ने चालाकी से प्रपत्र–5 खाली सिवायचक भूमि का आंवटन आदेश की फोटो कॉपी में काट–छॉट कर अपील के साथ पेश की है, जिससे किशोरीलाल का नाम मिटा रखा है, न्यायालय हाजा को गुमराह करने एंव परेशान करने के लिए बेबुनियादी आधार पर अपील पेश की है। अपीलान्ट के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही अमल में लाई जावे। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में जानकारी की भी कोई तारीख व समय नही लिखा है, क्योकि अपीलान्ट को अच्छी तरह से पता है, कि उक्त आराजी खसरा न0 361 रकबा 5 बीघा फूला देवी पत्नी सोनी व किशोरीलाल पुत्र सोहनलाल निवासी मकडावा को समभाग में अलॉट हुई थी, दोनो को ही दखल मिल गया दखल के अनुसार दौनो अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो गये थे। किशोरीलाल के राजकीय ऋण होने से किशोरीलाल का हिस्सा की सरकार ने कुर्की कर ली गयी व कुर्की के पैसे जमा कराकर ओमप्रकाश पुत्र छीतरमल निवासी मकडावा ने किशोरीलाल का हिस्सा जये वयनामा खरीद कर लिया गया। व किशोरीलाल के कब्जा/दखल वाले हिस्से पर काबिज दखल हो गया। ओमप्रकाश पुत्र छीतरमल निवासी मकडावा ने उक्त आराजी जये वयनामा के किशोरीलाल पुत्र रामसिंह

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

जाटव निवासी सौरखा को बेचान कर दिया जिसके द्वारा जर्ये बाद तकासमा कर अपना अलग–अलग खाता कायम करा लिया गया और अपने हिस्से का बेचान अनिता पत्नी दीपक कुमार निवासी नरवास को कर दिया गया। अनिता ने अपने हक हिस्से को जर्ये बयनामा के दीपक व विजय रेस्पोडेटान काबिज दाखिल है रेस्पोडेन्ट ने विद्युत कनेक्शन ले रखा है, तारबन्दी हो रही है। बेंजा रूप से तंग व परेशान करने के लिए अपील पेश की गयी है। अपील मे कही पर भी नामान्तकरण की जानकारी की तारीख नही लिखी गयी है, जबकि विलम्ब के मामलो मे दिन प्रतिदिन का ब्यौरा पेश करने का प्रावधान है। अपीलान्ट ने यह अपील 45 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट मय हर्जा–खर्चा खारिज की जावे। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालयो की निम्नलिखित नजीरे पेश की गयी है – आर.बी.जे. 2020 पेज 221, आर.बी.जे. 2021 पेज 619, आर.बी.जे.(14) 2007 सिविल अपील संख्या 720 2007, आर.बी.जे.(19) 2012 सिविल रिट पीटीशन संख्या 18235/2011, आर.बी.जे. 681

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.1975 नामान्तकरण संख्या 21 वाके ग्राम मकडावा तहसील कोटकासमि जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 26.12.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 48 वर्ष, पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में उल्लेख किया गया है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, अपीलान्ट को पटटे की प्रमाणित प्रति की जरूरत पडी तो उक्त आराजी की पुरानी जमाबंदीयात की नकल दिनाक 22.11.2023 व विवादित नामान्तकरण की नकल दिनाक 29.11.2023 को प्राप्त की तो गलत नामान्तकर का ज्ञान हुआ किन्तु यह स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.09.1975 की सर्वप्रथम जानकारी किस दिनाक को हुई। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक —— 30.09.1975 की जानकारी अपीलान्ट को सदैव से रही है, अपीलान्ट द्वारा यह अपील जानबुझकर अत्याधिक–विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में दिन–प्रतिदिन का ब्यौरा पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त/ठोस प्रमाण/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वाश किये जाने योग्य नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, नायब तहसीलदारा कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.09.1975 नामान्तकरण संख्या 21 वाके ग्राम मकडावा तहसील कोटकासमि जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)